



प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2026

विषय- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को, जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं तथा इस प्रकार जो पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को दिनांक 01.01.2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

पठित निम्नलिखित

- (1) शासनादेश संख्या-10/2025-वे0आ0-1-354/दस-2025, दिनांक 22-10-2025
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/1(iii) 2026-ई.॥(बी), दिनांक 22-04-2026

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2025-वे0आ0-1-354/दस-2025, दिनांक 22-10-2025 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को, जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं तथा इस प्रकार जो पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को दिनांक 01.01.2026 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:--

क्र० सं०	कार्मिक जिन्हें महंगाई भत्ता अनुमन्य किया जाना है	महंगाई भत्ते की वर्तमान दर		महंगाई भत्ते की प्रस्तावित दर		वृद्धि प्रतिशत
		देयता की तिथि	महंगाई भत्ते की दर	देयता की तिथि	महंगाई भत्ते की दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी वेतन संरचना में वेतन आहरित करने वाले	01-07-2025	474 प्रतिशत	01-01-2026	483 प्रतिशत	9 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23.11.1998 के प्रस्तर-3 एवं प्रस्तर-5 शासनादेश संख्या-6/2018-वे०आ०-1-363/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक 18.04.2018 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. इस आदेश द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान माह मई, 2026 के वेतन के साथ नकद किया जायेगा।

4. संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023, दिनांक 21.03.2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी और इसे दिनांक 01.05.2027 के पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी०पी०एफ०) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।

5. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन०पी०एस०) से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते के दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक की अवशेष की धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि अधिकारियों/कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा अवशेष की राशि के 14 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक की देय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अवशेष धनराशि का 90 प्रतिशत सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पब्लिक प्राविडेन्ट फण्ड (पीओपीओएफओ) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01.01.2026 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-5/2026-वेओआओ-1-162(1)/दस-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं०-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिशनर, कानपुर।
- (9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, प्रयागराज।
- (10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उद्यम अनुभाग-1 व 2
- (14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
- (16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>